कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–1800890915(टोल फ्री)

Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 84 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 18 / 07 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद–टिहरी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड़ का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग का पत्रांक–97/12–1, दिनांक 08.07.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/39/2022/एफ0सी0/207 दिनांक 14.05.2024 से इंगित कमियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका अवलोकन करने के उपरांत बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित अग्रसारित की जा रही हैं:–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	यह देखा गया है कि पहले से ही एक निर्मित सड़क है जो प्रस्तावित सड़क समरेखण के समानान्तर जा रही है। डी0एफ0ओ0 महोदय से अनुरोध है कि वे इस दृष्टि से कार्यस्थल का दौरा करें और विस्तृत कार्यस्थल निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या–01 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–01 के क्र0सं0 4.1 में त्रुटिवश पूर्वनिर्मित मोटर मार्ग के सामानान्तर प्रदर्शित होती हुई प्रस्तावित मोटर मार्ग संरेखण वाली के0एम0एल0 त्रुटिवश ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड हो गयी थी, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्तमान में संशोधित कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/39/2022/एफ0सी0/207 दिनांक 14.05.2024 से जारी निर्देषों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.05.2024 को प्रस्तावक विभाग के साथ किया गया ,जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक–01)
2	चूंकि यह देखा गया है कि आसपास के क्षेत्र में एक मौजूदा एन0एच. है, इसलिये सड़क का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।	बिन्दु संख्या–02 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावति मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 को आपस में जोड़ती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 में यात्रा सीजन के दौरान ऋषिकेश, हरिद्वार में होने वाले ट्रैफिक/जाम को नियंत्रण/डायवर्ट किया जा सकता है तथा यात्रा सीजन को सुचारू रूप से संचालित करने में भी आसानी होगी। यदि किसी वाहन को जाजल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 से होते हुये शिवपुरी तक जाना है तो उक्त परिस्थिति में वाहन को 42.00 कि0मी0 राष्ट्रीय

O/C

P.T.O.

		राजमार्ग सं0-94 एवं 15.00 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 पर दूरी तय करनी होगी। इस प्रकार कुल 57.00 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि इस मार्ग के निर्माण के उपरान्त कुल मात्र 23.00 कि0मी0 दूरी तय करने के उपरान्त वाहन शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 तक पहुंचेगा। इस प्रकार वाहन को कुल 34.00 कि0मी0 कम दूरी तय करनी होगी। पहाड़ी मार्ग की दृष्टि से 34.00 कि0मी0 की दूरी एक अत्यधिक दूरी होती है, 34.00 कि0मी0 की दूरी को तय करने में लगने वाले समय के साथ-साथ ईंधन एवं पर्यावरण की भी हानि होती है। 34.00 कि0मी0 दूरी तय करने में व्यय होने वाले ईंधन का विवरण संलग्न (संलग्नक-1) कर प्रेषित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 को जोड़ता है किन्तु प्रस्तावित मार्ग के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से हवाई दूरी लगभग 5.37 कि0मी0 है।

अतः समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु मय संलग्नको के प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

संख्या:- 84 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।